इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2018—अग्रहायण 16, शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2018

पंजी. क्र. 5662-इक्कीस-ब-(एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 4652-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 26 अक्टूबर,2018 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (दस) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(दस) सभी तरह की उपदान की राशि की अधिकतम सीमा बीस लाख रुपये होगी;".

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

Fl. No. 4652-XXI-B(One).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of this Department's Notification Fl. No. 4652-XXI-B (I), dated 15th October 2018 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 26th October 2018, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Judicial Services (Revision of Pay, Pension and Other Retirement Benefits) Rules, 2010, namely:—

AMENDMENT

In the said Rules, in rule 11, in sub-rule (1), for clause (x), the following clause shall be substituted, namely:—

"(x) The maximum limit of all kinds of gratuity shall be Rupees Twenty lakh;".

2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st January 2016.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016

भोपाल, दिनांक 30.11.2018

क्रमांक–1712–मप्रविनिआ–2018– विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181(2)(जेडडी) सहपठित धारा 45 तथा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा, "मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2015 {आरजी–35(II) वर्ष 2015}" में निम्न संशोधन करता है :

जबकि आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2015 {आरजी–35(II) वर्ष 2015} को दिनांक 18 दिसंबर, 2015 को अधिसूचित किया गया था तथा जबकि बहुवर्षीय टैरिफ की तृतीय नियंत्रण अवधि 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो जाएगी, अतएव वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु वितरण विद्युत–दर (टैरिफ) की निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करने हेतु इन विनियमों में संशोधन किया जा रहा है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015" है।

1.2 इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।

1.3 ये विनियम दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से लागू होंगे तथा जब तक आयोग द्वारा पूर्व अवधि में इसकी समीक्षा न कर ली जाए या इनकी समयावधि का विस्तार न कर लिया जाए, ये विनियम एक वर्ष की अवधि हेतु, अर्थात् 31 मार्च, 2020 तक प्रभावशील रहेंगे। निम्न संशोधनों को छोड़कर, प्रधान विनियमों के अन्य समस्त उपबंध तथा निबंधन एवं शर्तें, यथावत रहेंगी।

विनियमों 1.3, 8.1, 8.4, 16, 17.1, 25.1, 31.3, 34.6 (ख) (एक) तथा (दो) में संशोधन :

प्रधान विनियमों में, विनियमों 1.3, 8.1, 16, 25.1 के अंतर्गत शब्दों " 31 मार्च, 2019" को "31 मार्च, 2020" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

प्रधान विनियमों में, विनियम 8.4 के अंतर्गत शब्दों "31 अक्टूबर प्रतिवर्ष" को "वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु 31 दिसम्बर" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

प्रधान विनियमों में, विनियम 17.1 के अंतर्गत शब्दों "तीन वर्षों" को "चार वर्षों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

प्रधान विनियमों में, विनियम 25.1 के अंतर्गत इन विनियमों की नियंत्रण अवधि हेतु मानदण्डीय वितरण हानि प्रक्षेप–वक्र को निम्न तालिका द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

सरल क्रमांक	वितरण अनुज्ञप्तिधारी	वित्तीय वर्ष 2016–17	वित्तीय वर्ष 2017–18	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20
1	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	18%	17%	16%	16%
2	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	16%	15.5%	15%	15%
3	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	19%	18%	17%	17%
4	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, पीथमपुर	2.0%	1.9%	1.8%	1.8%

प्रधान विनियमों में, विनियम 31.3 के अंतर्गत वर्ष "2018–19" को वर्ष "2019–20" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

प्रधान विनियमों में, विनियम 34.6 (ख) (एक) तथा (दो) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

(एक) कर्मचारी व्यय, (कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते, राष्ट्रीय पेंशन योजना व्ययों, पेंशन, सेवान्त प्रसुविधाओं तथा प्रोत्साहन को छोड़कर)

वित्तीय वर्ष	पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र पीथमपुर
2016–17	385	403	359	0.98
2017–18	396	415	370	1.01
2018–19	408	428	381	1.04
2019–20	1080	1133	1009	2.75

(दो) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

वित्तीय वर्ष	पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र पीथमपुर
2016–17	168	129	96	1.91
2017–18	179	138	103	2.04
2018–19	192	147	110	2.18
2019–20	205	157	118	2.33

प्रधान विनियमों में संलग्न प्ररूप वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु भी लागू होंगे ।

आयोग के आदेशानुसार

शैलेन्द्र सक्सेना, सचिव

Bhopal, 30th November, 2018

No. 1712/MPERC/2018 - In exercise of power conferred under section 181(2) (zd) read with Section 45 and section 61 of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003) ,the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of Charges) Regulations, [2015(RG-35(II) of 2015]" .

Whereas, the Commission had notified Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of tariff for Supply and wheeling of Electricity and Methods & Principles for Fixation of Charges) Regulations, [2015(RG-35(II) of 2015 on 18th December 2015 and whereas the third control period of Multi Year Tariff will cease to be in vogue on 31st March, 2019, in order to specify the terms and conditions for Distribution Tariff for the next Financial Year 2019-20 these Regulations are being amended.

Short title and Commencement:

1.1 These Regulations shall be called the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of Charges) Regulations, (First Amendment) Regulations, 2015"

1.2 These Regulations shall extend to the whole of State of Madhya Pradesh.

1.3 These Regulations shall come in force with effect from 01.04.2019,and unless reviewed earlier or extended by the Commission, shall remain in force for a period of one year i.e. up to 31.03.2020. Except for the following amendments, all other provisions and term & conditions of principal Regulations shall remain unchanged.

Amendment to Regulations 1.3, 8.1 , 8.4 , 16, 17.1, 25.1, 31.3, 34.6 (b) (i) and (ii)

In principal Regulations, under Regulations 1.3, 8.1, 16 and 25.1 the words " 31st March 2019" shall be substituted by the words "31st March 2020".

In principal Regulations, under Regulation 8.4, the words "31st October every year" shall be substituted by "31st December for FY2019-20".

In principal Regulations, under Regulation 17.1, the words "three years" shall be substituted by the words "four years".

In principal Regulations, under Regulation 25.1, the normative distribution loss level trajectory for control period of these Regulations shall be substituted as per table below

Sr. No.	Distribution Licensee	FY16-17	FY17-18	FY18-19	FY19-20
1	East Discom	18%	17%	16%	16%
2	West Discom	16%	15.5%	15%	15%
3	Central Discom	19%	18%	17%	17%
4	SEZ ,Pithampur	2.0%	1.9%	1.8%	1.8%

In principal Regulations, under Regulation 31.3, the year "2018-19" shall be substituted by year "2019-20"

In principal Regulations, the Regulation 34.6 (b) (i) & (ii) shall be substituted as under:

(i) Employee expenses excluding dearness allowance, NPS expenses , pension , terminal benefits and incentive to be paid to employees : (Rs. in Crore)

FY	East Discom	West Discom	Central Discom	SEZ Pithampur
2016-17	385	403	359	0.98
2017-18	396	415	370	1.01
2018-19	408	428	381	1.04
2019-20	1080	1133	1009	2.75

ii) A& G expenses (Rs. in Crore)

FY	East Discom	West Discom	Central Discom	SEZ Pithampur
2016-17	168	129	96	1.91
2017-18	179	138	103	2.04
2018-19	192	147	110	2.18
2019-20	205	157	118	2.33

The information required in the formats annexed with the principal Regulations ,shall be applicable for FY2019-20 also .

By order of the Commission

Shailendra Saxena, Secretary

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.